(ङ) क्या सरकार भारतीय मूल के लोगों के हितों का संरक्षण करने के लिए उन्हें दोहरी नागरिकता प्रदान करने का विचार रखती है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कमला सिन्हा): (क) से (ङ) विदेशों में बसे भारतीय मूल के लोगों की संख्या का देश-वार अद्यतन ब्यौरा एकत्र किया जा रहा है और सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

भारतीय मूल के व्यक्ति जब एक बार दूसरे देश की राष्ट्रीयता ग्रहण कर लेते हैं और उसके प्रति निष्ठा की शपथ ले लेते हैं तो उन्हें सुरक्षा प्रदान करने का कर्तव्य उस देश का हो जाता है जहां की उन्होंने स्वेच्छा से राष्ट्रीयता ग्रहण की होती है। तदनुसार, उन्हें सुरक्षा प्रदान करने का कर्तव्य भारत सरकार का नहीं रह जाता। वास्तव में, ऐसे व्यक्तियों के कल्याण में अत्यधिक रुचि को दूसरे प्रभुतासम्पन्न राज्य के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप समझा जा सकता है। तथापि, भारत सरकार भारतीय मूल के लोगों की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील रहते हुए मेजबान सरकारों और भारतीय मूल के लोगों के संगठनों के साथ सावधानी के साथ सम्पर्क बनाए रखती है ताकि उनके और भारत के बीच सांस्कृतिक सम्पर्कों को निरन्तरता प्रदान की जा सके।

भारतीय मूल के लोगों के विरुद्ध भेदभाव की जो भी खबरें हैं भारत सरकार ऐसे आरोपों से सावधानीपूर्वक निपटती है और आवश्यक होने पर उन्हें अन्तर्राष्ट्रीय पद्धति के अनुरूप सम्बद्ध सरकार के साथ उपयुक्त स्तर पर उठाती है।

भारतीय मूल के लोगों को दोहरी नागरिकता प्रदान करने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

Funds for different Programmes in Municipalities in Andhra Pradesh

*225. SHRI V. HANUMANTHA RAO: Will the Minister of URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) whether any Central funds were made available to Andhra Pradesh Government in 1995-96 and 1996-97 for various programmes in Municipalities;

(b) if so, the quantum of such funds

(c) whether Government monitor and react to complaints of misuse or diversion of funds in their end-use;

(d) whether Government have received any representations from Municipal Councillors of ELURU in Andhra Pradesh on such improper diversion; and

(e) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OR URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT (DR. U. VENKATESWARLU): (a) Yes, Sir.

(b) The funds released during 1995-96 and 1996-97 were Rs.3600.42 and Rs.3228.13 lakhs respectively.

(c) Under the guidelines for various Centrally Sponsored Schemes, State Governments are responsible for their implementation and monitoring. As and when issues come to the notice of Government of India, the same are referred to State Governments for appropriate action. However, no report regarding complaints of misuse/diversion of funds have been received so far.

(d) No, Sir.

(e) Question does not arise.

आग लगने की संभावना वाले केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के भवन

*227. **श्री सूर्यभान पाटील वहाडणे**: क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या नई दिल्ली/दिल्ली में केन्द्रीय सरकार के कार्यालय जिन भवनों में स्थित हैं, वे अग्निशमन कार्यालय द्वारा असुरक्षित घोषित किए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन भवनों को सुरक्षित बनाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ताकि भविष्य में कोई अनिष्टकारी घटना न हो?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा० यू० वेंकटेस्वरलू): (क) दिल्ली अग्निशमन सेवा द्वारा नई दिल्ली/दिल्ली में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा अनुरक्षित केन्द्र सरकार के कार्यालयों वाली किसी इमारत को असुरक्षित घोषित नहीं किया गया है। किन्तु उन्होंने उनमें कुछ कमियां अवश्य बताई हैं।